fcgkj ¼eaf=;ksa ds osru ,oa HkÙks½ vf/kfu;e] 2006

çLrkoukA & भारत संविधान के अनुच्छेद 164(5) में प्रदत्त प्रावधान के तहत राज्य के मंत्रियों का
वेतन एवं भत्ता निर्धारित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. lf{kIr uke ,oa çkjEHkA &

(1) यह अधिनियम बिहार (मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करे।

2- ifjHkk"kk,A & जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस विधेयक में,

(क) ''मुख्य मंत्री'' से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(ख) ''मंत्री'' से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्य मंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

3- osru] HkÙkk ,oa vU; lqfo/kk;A & इस अधिनियम की धारा–2 में विनिर्दिष्ट पदधारकों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित नियमावली के अधीन तय पैमाने एवं शर्त्तों के अनुसार देय होगी।

4- fu;e cukus dh 'kfDrA &

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियमवली बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए जानेवाला प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों समक्ष जब वे सत्र में हों कुल 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त उत्तरवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हों कि यह नियम न बनाया जाए तो तत्पश्चात नियम यथास्थिति उस उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कोई उपान्तरण इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभावी नहीं डालेगा।

5- fujlu ,o 0;kofrA & बिहार के मंत्रियों के (वेतन भत्ता) अधिनियम, 1953 एवं उसमें समय–समय पर अबतक किये गये सभी (संशोधन) अधिनियम एवं

बिहार के उप मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम 1952 एवं उसमें समय–समय पर किये गये अबतक के सभी (संशोधन) अधिनियम।

इस अधिनियम के अधीन नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे :

परंतु ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी :

परंतु यह भी कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद भी जब तक इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली नहीं बनायी जाती है, तबतक पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए बनायी गयी नियमावली प्रभावी रहेगी।